2020 का विधेयक संख्यांक 123.

[दि फारेन कान्ट्रीबुशन (रिगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 3 का संशोधन ।

2010 का 42

2. विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) लोक सेवक, न्यायाधीश, सरकारी सेवक या सरकार के नियंत्रणाधीन या स्वामित्वाधीन किसी निगम या किसी अन्य निकाय के कर्मचारी ;";

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 1**—खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, "लोक सेवक" से भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में यथा परिभाषित कोई लोक सेवक अभिप्रेत है । 1860 का 45

'**स्पष्टीकरण 2**—खंड (ग) में और धारा 6 में "निगम" पद से सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई निगम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में यथापरिभाषित सरकारी कंपनी भी है ।'। 2013 का 18

धारा 7 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना ।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

विदेशी अभिदाय का किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण करने पर प्रतिषेध ।

"7. कोई व्यक्ति जो,—

(क) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है या उसने पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की है ; और

(ख) कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त करता है, ऐसे विदेशी अभिदाय को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं करेगा ।"।

धारा 8 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में, "पचास प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं "बीस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 11 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के परंतुक में, "परंतु यदि उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति इस अधिनियम या विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के किसी उपबंध के उल्लंघन का दोषी पाया गया है", शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु यदि केंद्रीय सरकार को, किसी सूचना या रिपोर्ट के आधार पर और संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति, जिसे पूर्व अनुज्ञा दी गई है, इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है, कोई अतिरिक्त् जांच लंबित है, तो ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकेगी कि वह केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, अनुपयोजित विदेशी अभिदाय को उपयोजित नहीं करेगा या विदेशी अभिदाय के शेष भाग को, जो प्राप्त नहीं हुआ है या कोई अतिरिक्त विदेशी अभिदाय, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त नहीं करेगा :

परंतु यह और कि यदि उपधारा (1) में या इस उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्ति दोषी पाया गया है ।"।

धारा 12 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया है, उसे धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति में एफसीआरए खाता खोलना होगा और अपने आवेदन में ऐसे खाते का ब्यौरा उल्लिखित करना आवश्यक होगा ।" ।

एक नई धारा 12क का

7. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की

जाएगी, अर्थात् :—

अंतःस्थापन ।

"12क. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी कि कोई व्यक्ति जो धारा 11 के अधीन पूर्व अनुज्ञा या पूर्व अनुमोदन चाहता है या धारा 12 के अधीन प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए या धारा 16 के अधीन प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन करता है, जैसी भी स्थिति हो, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 के अधीन जारी किया गया पहचान दस्तावेज के रुप में इसके सभी पदाधिकारियों या निदेशकों या मुख्य कृत्यकारियों, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए या विदेशी होने की स्थिति में पासपोर्ट या भारत कार्ड की विदेशी नागरिक की एक प्रति उपलब्ध कराएगा ।"।

पहचान दस्तावेज के रूप में आधार संख्या इत्यादि की अपेक्षा करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

2016 का 18

8. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में "यथाविनिर्दिष्ट एक सौ अस्सी दिन से अनधिक अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर "यथाविनिर्दिष्ट एक सौ अस्सी दिन या एक सौ अस्सी दिन से अनधिक ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 13 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 14क का अंत:स्थापन।

"14क. केंद्रीय सरकार, इस निमित्त किए गए अनुरोध पर, ऐसी जांच के पश्चात् जैसा ठीक समझे, यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं किया है और विदेशी अभिदाय तथा ऐसे अभिदाय से सृजित शास्ति, यदि कोई हो, धारा 15 की उपधारा (1) में यथा उपबंधित प्राधिकारी में निहित हो गई है, तो इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा दे सकेगी ।"।

प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण ।

10. मूल अधिनियम की धारा 15 में,—

धारा 15 का संशोधन ।

(i) पार्श्व शीर्षक में, "रद्द" शब्द के पश्चात् "या अभ्यर्पण" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 14 के अधीन रद्द किया गया है" के पश्चात् "या धारा 14क के अधीन अभ्यर्पण किया है" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

11. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 16 का संशोधन ।

"परंतु केंद्रीय सरकार प्रमाणपत्र का नवीकरण करने के पूर्व, स्वयं का समाधान करने के लिए कि ऐसा व्यक्ति धारा 12 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा किया है, ऐसी जांच कर सकेगी, जो वह ठीक समझे ।"।

12. मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 17 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना ।

अनुसूचित बैंक के माध्यम से विदेशी

"17. (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसे धारा 12 के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है या पूर्व अनुज्ञा दी गई है, बैंक द्वारा 'एफसीआरए खाता' के रुप् में

अभिदाय ।

अभिहित किसी खाते में केवल विदेशी अभिदाय प्राप्त करेगा, जो कि भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली की ऐसी शाखा में विदेशी अभिदाय के विप्रेषणादेशों के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा खोला जाएगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे :

परंतु ऐसा व्यक्ति विदेशी अभिदाय रखने या उपयोग करने के प्रयोजन के लिए अपनी पसन्द के किसी अनुसूचित बैंक में अन्य एफसीआरए खाता भी खोल सकेगा, जो भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली के विनिर्दिष्ट शाखा में उसके एफसीआरए खाते से प्राप्त हुआ है :

परंतु यह और कि ऐसा व्यक्ति अपने चुनाव के एक या अधिक अनुसूचित बैंकों में एक या अधिक खाते खोल सकेगा जो वह भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली के किसी विनिर्दिष्ट शाखा में अपने एफसीआरए खाता में उसके द्वारा प्राप्त किसी विदेशी अभिदाय का उपयोग करने के लिए अंतरित कर सकेगा या अपने चुनाव के किसी अनुसूचित बैंक में अन्य एफसीआरए खाते में उसके द्वारा रखा जा सकेगा :

परंतु यह और भी कि ऐसे खाते में विदेशी अभिदाय से भिन्न कोई निधि प्राप्त नहीं की जाएगी या जमा नहीं की जाएगी ।

(2) भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली की विनिर्दिष्ट शाखा या अनुसूचित बैंक की शाखा, जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति अपना विदेशी अभिदाय खाता खोलता है या विदेशी अभिदाय में प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, निम्नलिखित के संबंध में रिपोर्ट, ऐसे प्ररुप और रीति में जो विहित की जाए, करेगा—

(क) विदेशी विप्रेषण की विहित रकम ;

(ख) वह स्रोत और रीति, जिसमें विदेशी विप्रेषण प्राप्त किया गया था ; और

(ग) कोई अन्य विशिष्टियां ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 कतिपय व्यष्टियों या संगम या कंपनियों द्वारा विदेशी अभिदाय या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने तथा राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी क्रियाकलाप के लिए विदेशी अभिदाय या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग को तथा उससे संबद्ध या आनुषंगिक मामले को प्रतिषिद्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. उक्त अधिनियम 1 मई, 2011 को प्रवृत्त हुआ और दो बार संशोधित किया गया । पहला संशोधन वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 236 द्वारा किया गया था और दूसरा संशोधन वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 220 द्वारा किया गया था ।

3. वर्ष 2010 और 2019 के बीच विदेशी अभिदाय का वार्षिक अंतर्वाह लगभग दुगुना हो गया, किंतु कई प्राप्तिकर्ता विदेशी अभिदाय का उपयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किए, जिसके लिए उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन पूर्व अनुज्ञा से रजिस्ट्रीकृत किया गया था या स्वीकृत किया गया था । उनमें से कई आधारभूत कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इच्छुक भी पाए गए, जैसे वार्षिक विवरणियों को प्रस्तुत करना और उचित लेखाओं का रख-रखाव करना । इससे ऐसी स्थिति बन गई जहां केंद्रीय सरकार को वर्ष 2011 और 2019 के बीच की अवधि के दौरान गैर सरकारी संगठन सहित 19,000 से अधिक प्राप्तिकर्ता संगठनों के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र रद्द करना पड़ा । ऐसे दर्जनों गैर सरकारी संगठन, जो विदेशी अभिदाय के दुर्विनियोग या दुरुपयोग में पूर्णतया लिप्त थे, के विरुद्ध आपराधिक अन्वेषण भी आरंभ किया गया था ।

4. अतः, प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए मूल्य के विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग में अनुपालन तंत्र को प्रोत्साहित करने, पारदर्शिता की वृद्धि करना और जवाबदेही द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों को सुप्रवाही बनाने तथा वास्तविक गैर-सरकारी संगठनों या संगमों को सुकर बनाने की आवश्यकता है, जो समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं ।

5. विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020 अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए उपबंध भी करता है :—

(क) अपने क्षेत्र के भीतर "लोक सेवक" को सम्मिलित करने के लिए लोक सेवक द्वारा कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं किया जाएगा, का उपबंध करने के लिए धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) का संशोधन ;

(ख) किसी संगम/व्यक्ति को किए गए विदेशी अभिदाय के अंतरण को प्रतिषिद्ध करने के लिए धारा 7 का संशोधन ;

(ग) प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए "पचास प्रतिशत" से "बीस प्रतिशत" की सीमा को कम करने के लिए धारा 8 की उपधारा (1) का संशोधन ;

(घ) जो आधार संख्यांक, आदि, जैसे पहचान दस्तावेज की अपेक्षा के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए नई धारा 12क का अंतःस्थापन ;

(ङ) जो अधिनियम के अधीन स्वीकृत प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञा देने के लिए केंद्रीय सरकार को समर्थ बनाने के लिए

नई धारा 14क का अंत:स्थापन ;

(च) यह उपबंध करने के लिए धारा 17 का संशोधन कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसे धारा 12 के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है या पूर्व अनुज्ञा दी गई है, 'एफसीआरए खाता' के रूप में अभिहित किसी खाते में केवल विदेशी अभिदाय प्राप्त करेगा, जो कि भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली की ऐसी शाखा में और उससे संबंधित अन्य पारिणामिक मामलों के लिए उसके द्वारा खोला जाएगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
16 सितम्बर, 2020

अमित शाह

उपाबंध

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 42)

* * * * * *

अध्याय 2

विदेशी अभिदाय और विदेशी आतिथ्य का विनिय

विदेशी अभिदाय स्वीकार करने का प्रतिषेध ।

3. (1) कोई भी विदेशी अभिदाय निम्नलिखित द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा,—

* * * * * *

(ग) न्यायाधीश, सरकारी सेवक या सरकार के नियंत्रणाधीन या स्वामित्वाधीन किसी निगम या किसी अन्य निकाय के कर्मचारी;

* * * * * *

स्पष्टीकरण—खंड (ग) में और धारा 6 में "निगम" पद से सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई निगम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी भी है ।

* * * * * *

विदेशी अभिदाय का किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण करने पर प्रतिषेध >

7. कोई व्यक्ति जो,—

(क) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है या उसने पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की है; और

(ख) कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त करता है,

ऐसे विदेशी अभिदाय को किसी अन्य व्यक्ति को तब तक अंतरित नहीं करेगा जब तक कि ऐसा अन्य व्यक्ति भी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो और उसे प्रमाणपत्र न दिया गया हो या उसने पूर्व अनुज्ञा प्राप्त न की हो:

परंतु ऐसा व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे विदेशी अभिदाय के किसी भाग को ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर सकेगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार इस अधिनियम के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त नहीं किया गया है या जिसने अनुमति प्राप्त नहीं की है ।

विदेशी अभिदाय का प्रशासनिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने पर निर्बन्धन ।

8. (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसे प्रमाणपत्र दिया गया है या पूर्व अनुज्ञा दी गई है और वह कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त करता है—

(क) ऐसे अभिदाय का उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा, जिनके लिए वह अभिदाय प्राप्त किया गया है:

परन्तु किसी विदेशी अभिदाय या उससे उद्भूत किसी आय का उपयोग किसी सट्टे वाले कारबार के लिए नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा, ऐसे क्रियाकलाप या कारबार विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें इस धारा के प्रयोजन के लिए सट्टे का

कारबार समझा जाएगा;

(ख) किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त किए गए ऐसे अभिदाय के पचास प्रतिशत से अनधिक रकम का यथासंभव, प्रशासनिक व्ययों, यदि कोई हों, को चुकाने के लिए संदाय नहीं करेगा :

परंतु ऐसे अभिदाय के पचास प्रतिशत से अधिक प्रशासनिक व्ययों को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से चुकाया जा सकेगा ।

* * * * * *

अध्याय 3

रजिस्ट्रीकरण

कतिपय व्यक्तियों का केन्द्रीय सरकार के पास रजिस्ट्रीकरण ।

11. (1) * * * * *

(2) यदि इस उपधारा में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो ऐसा व्यक्ति केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ही कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त कर सकेगा और ऐसी पूर्व अनुज्ञा उसी प्रयोजन के लिए और स्रोत से विधिमान्य होगी, जिसके लिए वह प्राप्त की गई है :

परन्तु यदि उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति इस अधिनियम या विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के किसी उपबंध के उल्लंघन का दोषी पाया गया है तो विदेशी अभिदाय की अनुपयोजित या अप्राप्त रकम केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपयोजित या प्राप्त नहीं की जाएगी । 1976 का 49

* * * * * *

प्रमाणपत्र का निलंबन ।

13. (1) जहां केन्द्रीय सरकार का, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह समाधान हो जाता है कि धारा 14 की उपधारा (1) में वर्णित किसी आधार पर प्रमाणपत्र रद्द करने के प्रश्न पर विचार किए जाने तक, ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, आदेश में यथाविनिर्दिष्ट एक सौ अस्सी दिन से अनधिक अवधि के लिए प्रमाणपत्र को निलंबित कर सकेगी ।

* * * * * *

ऐसे व्यक्ति, जिनका प्रमाणपत्र रद्द किया गया है, के विदेशी अभिदाय का प्रबंध ।

15. (1) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जिसका प्रमाणपत्र धारा 14 के अधीन रद्द किया गया है, की अभिरक्षा में विदेशी अभिदाय और विदेशी अभिदाय से सृजित आस्तियां ऐसे प्राधिकारी में निहित हो जाएंगी, जो विहित किया जाए ।

* * * * * *

प्रमाणपत्र का नवीकरण ।

16. (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसे धारा 12 के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, ऐसे प्रमाणपत्र की अवधि की समाप्ति से पूर्व छह मास के भीतर प्रमाणपत्र को नवीकृत कराएगा ।

* * * * * *

अध्याय 4

लेखा, संसूचना, संपरीक्षा और आस्तियों का व्ययन, आदि

17. अनुसूचित बैंक के माध्यम से विदेशी अभिदाय—(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसे धारा 12 के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है या पूर्व अनुज्ञा दी गई है, किसी

अनुसूचित बैंक की ऐसी किसी एक शाखा के माध्यम से ही किसी एकल खाते में विदेशी अभिदाय प्राप्त करेगा, जो वह ऐसे प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए अपने आवेदन में विनिर्दिष्ट करे:

परंतु ऐसा व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय का उपयोग करने के लिए एक या अधिक अनुसूचित बैंकों में एक या अधिक खाते खोल सकेगा:

परंतु यह और कि ऐसे खाते या खातों में, विदेशी अभिदाय से भिन्न कोई निधि प्राप्त नहीं की जाएगी या जमा नहीं की जाएगी ।

(2) प्रत्येक बैंक या विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, निम्नलिखित के संबंध में रिपोर्ट, ऐसे प्ररूप में और रीति से, जो विहित की जाए, करेगा,—

(क) विदेशी विप्रेषण की विहित रकम;

(ख) वह स्रोत और रीति, जिसमें विदेशी विप्रेषण प्राप्त किया गया था; और

(ग) कोई अन्य विशिष्टियां ।

* * * * * *